न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बइजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

प्रकरण संख्या: 134/2019/दावा

1. हाबूड़ा उर्फ शंकरलाल पुत्र हनुमान जाति सैनी (माली) निवासी वार्ड नम्बर 18, रामगढ तह0 दांतारामगढ जिला सीकर।

—प्रार्थी

ब ना म

1. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।

—अप्रार्थी

दावा बाबत उद्घोषणा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती

उपस्थिति—

1. श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत, वकील प्रार्थी ओर सें।

नि र्ण य दिनांक — 19.12.2019

1. वादपत्र के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 2205 रकबा 0.8000 है0, ख0नं0 2206 रकबा 0.1400 है0, ख0नं0 2207 रकबा 0.1600 है0, ख0नं0 2209 रकबा 0.2900 है0, ख0नं0 2210 रकबा 1.7300 है0 किता 5 कुल रकबा 3.12 है0 तथा ख0नं0 2203 रकबा 1.1400 है0, ख0नं0 2208 रकबा 2.0600 है0 किता 2 कुल रकबा 3.2000 है0 एवं भूमि खासरा नम्बर 2204 रकबा 0.05 है0 वाके ग्राम कीरों की ढाणी पटवार हल्का दांता तहसील दांतारामगढ जिला सीकर की तन में अवस्थित है जिसकी वादी रिकॉर्डेड खातेदार है तथा राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सानुसार काबिज काश्तकार है। वादी को घर में बाल्यावस्था में हाबूड़ा के नाम सें पुकारने के कारण राजव रिकॉर्ड में वादी का नाम हाबूड़ा दर्ज करवा दिया गया, तत्पश्चात वादी का नाम सम्मानजनक नहीं होने के कारण अन्य दस्तावेजों में शंकरलाल दर्ज करवा दिया गया जबकि हाबूड़ा व शंकरलाल दोनों ही नाम वादी के ही है। इस प्रकार अन्य सभी दस्तावेजों जैसे मतदाता पहचान पत्र, राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड, आधारकार्ड, बैंक रिकॉर्ड आदि में नाम शंकरलाल बदस्तूर चला आ रहा है वादी के हाबूड़ा नाम का अन्य कोई भाई नहीं है। वादी के उक्त कथन के समर्थन में ग्राम पंचायत दांतारामगढ द्वारा प्रमाण पत्र भी जरी किया गया है। वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड एवं अन्य दस्तावेजात में भिन्न होने के कारण वादी अपने हिस्से की खातेदारी भूमि को विकसित करने की कार्यवाही करने में सक्षम नहीं ह जिससें वादी को अपूर्तनीय क्षति हो रही ह इसलिए वादी का राजस्व रिकॉर्ड में नाम हाबूड़ा के स्थान पर हाबूड़ा उर्फ

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

शंकरलाल दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर अंत में यह इस्तदुआ चाही गई कि वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर कृषि भूमि खसरा नम्बर 2205 रकबा 0.8000 है0, ख0नं0 2206 रकबा 0.1400 है0, ख0नं0 2207 रकबा 0.1600 है0, ख0नं0 2209 रकबा 0.2900 है0, ख0नं0 2210 रकबा 1.7300 है0 किता 5 कुल रकबा 3.12 है0 तथा ख0नं0 2203 रकबा 1.1400 है0, ख0नं0 2208 रकबा 2.0600 है0 किता 2 कुल रकबा 3.2000 है0 एवं भूमि खसरा नम्बर 2204 रकबा 0.05 है0 वाके ग्राम कीरों की ढाणी पटवार हल्का दांता तहसील दांतारामगढ जिला सीकर के खातेदार के रूप में हाबूड़ा उर्फ शंकरलाल के नाम की उद्घोषणा की जाकर तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

2. वादपत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी तहसीलदार दांतारामगढ सें तथ्यात्मक रिपोर्ट मंगवाई गई। वकील वादी की बहस एकपक्षीय सुनी गई। बहस के दौरान वादी के अधिवक्ता ने वादपत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया कि वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाकर हाबूड़ा उर्फ शंकरलाल दर्ज किया जावे।

3. बहस विद्वान अधिवक्ता वादी पर मनन किया तथा वादपत्र में वर्णित तथ्यों का अवलोकन किया। तहसीलदार दांतारामगढ की रिपोर्ट का अधोपांत अवलोकन किया गया । तहसीलदार रिपोर्ट के अनुसार "नामां0 संख्या 996–997 दिनांक 04.06.1981 के द्वारा विरासत सें हाबूड़ा पिता हणमान क नाम खातेदारी दर्ज हुई। विरासत का नामां0 खुलने सें आज तक प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में हाबूड़ा पुत्र हणमान दर्ज है। जबकि प्रार्थी के आधारकार्ड, राशनकार्ड, भामाशाह कार्ड, पहचान पत्र में प्रार्थी का नाम शंकरलाल पुत्र हनुमान दर्ज है कार्यालय ग्राम पंचायत दांतारामगढ द्वारा जारी सरपंच के प्रमाण पत्र में हाबूड़ा हनुमान व शंकरलाल पुत्र हनुमान दोनों एक ही व्यक्ति का नाम हेना बताया गया है। अतः प्रार्थी का नाम हाबूड़ा उर्फ शंकरलाल पुत्र हणमान किया जाना उचित है।" प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार रिपोर्ट तथा ग्राम पंचायत द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर न्यायहित में **वादी का वाद स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम कीरों की ढाणी पटवार हल्का दांता तह0 दांतारामगढ की भूमि ख0नं0 2205 रकबा 0.8000 है0, ख0नं0 2206 रकबा 0.1400 है0, ख0नं0 2207 रकबा 0.1600 है0, ख0नं0 2209 रकबा 0.2900 है0, ख0नं0 2210 रकबा 1.7300 है0 किता 5 कुल रकबा 3.12 है0 तथा ख0नं0 2203 रकबा 1.1400 है0, ख0नं0 2208 रकबा 2.0600 है0 किता 2 कुल रकबा 3.2000 है0 एवं भूमि खसरा नम्बर 2204 रकबा 0.05 है0 में खातेदार वादी का नाम हाबूड़ा पुत्र हनुमान के स्थान**

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

पर हाबूड़ा उर्फ शंकरलाल पुत्र हनुमान दर्ज किये जाने की उद्घोषणा की जाती है तथा तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। डिकी जारी हो। राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 19.12.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर से कम हो ।

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

अंतिम डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6--7, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix 'D' - 1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ, सीकर

इजलास अशोक कुमार, आर.ए.एस

हाबूड़ा उर्फ शंकरलाल बनाम राज्य सरकार

दावा बाबत उद्घोषणा एवं रिकॉर्ड दुरूस्ती

मुकदमा नं0 134 / दावा सन् 2019 निर्णय दिनांक. 19.12.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **अशोक कुमार आर.ए.एस** बहाजरी **श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत** मिनजानिब मुद्दई पेश होकर हुकम दिया जाता है, कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है तथा ग्राम कीरों की ढाणी पटवार हल्का दांता तह0 दांतारामगढ की भूमि ख0नं0 2205 रकबा 0.8000 है0, ख0नं0 2206 रकबा 0.1400 है0, ख0नं0 2207 रकबा 0.1600 है0, ख0नं0 2209 रकबा 0.2900 है0, ख0नं0 2210 रकबा 1.7300 है0 किता 5 कुल रकबा 3.12 है0 तथा ख0नं0 2203 रकबा 1.1400 है0, ख0नं0 2208 रकबा 2.0600 है0 किता 2 कुल रकबा 3.2000 है0 एवं भूमि खसरा नम्बर 2204 रकबा 0.05 है0 में खातेदार वादी का नाम हाबूड़ा पुत्र हनुमान के स्थान पर हाबूड़ा उर्फ शंकरलाल पुत्र हनुमान दर्ज किये जाने की उद्घोषणा की जाती है तथा इसी अनुसार दुरूस्ती के आदेश दिये जाते है।

उपरोक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी किये जाने के आदेश दिये जाते है तथा राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार दांतारामगढ को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर सें कम होकर बाद दाखिल दफ्तर हो।

बीज ..... मुबलिग ..... बाबत .....खर्चा इस मुकदमे के मय शूद व शरह ..... फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ..... को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 19.12.2019 को जारी की गई।

मोहर

दस्तखत ओहदा

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

Scanned by CamScanner

मुददई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	6	00	स्टाम्प वकालतनामा	1	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत	—	—	मेहनताना वकील पर ...		
मेहनताना वकील	—	—	खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान	—	—	फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर	—	—	बाबत इजराय हुक्मनामा		
बाबत इजराय हुक्मनामा	—	—	मुतफर्रिक	0	00
मुतफर्रिक	8	00		0	00
मीजान	15	00	मीजान	1	00

नोट: इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो, या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ (सीकर)

(अशोक कुमार)
उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़

उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़

Scanned by CamScanner